न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2012/00025

1. जयनन्दन उम्र 10 वर्ष ।
2. सुखनन्दनी उम्र 15 वर्ष नाबालिग जरिये वली माता संजूरानी ।
3. संजूरानी विधवा पत्नी स्व0 महावीर जाति यादव निवासीगण 404 सुभाष नगर–II कोटा ।
4. रामावतार पुत्र स्वर्गीय बद्रीनारायण ।
5. ममता यादव पुत्र स्व0 बद्रीनारायण
6. सज्जन बाई पत्नी स्व0 बद्रीनारायण जाति अहीर निवासीगण ग्राम बडौद तहसील दीगोद जिला कोटा ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. रामसुखी पत्नी प्रभूलाल
2. रामस्वरूप पुत्र स्व0 प्रभूलाल ।
3. दीपक पुत्र स्व0 रामकल्याण ।
4. चेतन पुत्र स्व0 रामकल्याण ।
5. वंशाली पुत्री स्व0 रामकल्याण ।
6. सुधा पत्नी स्व0 रामकल्याण ।
7. कपिल पुत्र स्व0 रामकल्याण ।
8. नीलू पुत्री स्व0 रामकल्याण समस्त जाति ब्राह्मण निवासीगण सी– 364 (आर0) बडौद वाले तलवण्डी, कोटा ।
9. कमला पुत्री प्रभूलाल पत्नी सत्यनारायण ।
10. विमला पुत्र प्रभूलाल पत्नी बालचन्द ।
11. कौशल्या पुत्री प्रभूलाल पत्नी कैलाश चन्द ।
12. बृजमोहन पुत्र धूलीलाल जाति ब्राह्मण निवासीगण बडौद तहसील दीगोद जिला कोटा ।
13. नन्दकिशोर उर्फ भगवती नन्दन पुत्र गोपी लाल ।
14. देवकी नन्दन पुत्र गोपीलाल जाति ब्राह्मण निवासीगण भला साहब का मंदिर आचार्य गली जगदीश डिस्को वाले का मकान बून्दी ।
15. गोपाली बाई पत्नी स्व0 भवानीनन्दन ।
16. महावीर ।
17. बन्टी जाति ब्राह्मण निवासीगण भला साहब का मंदिर आयार्च जी की गली जगदीश डिस्को वाले का मकान जिला बून्दी ।
18. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, दीगोद ।

---रेस्पोडन्ट

अपील संख्या : 2012/00029

1. नट्टी बाई पत्नी स्व0 गोपीलाल (नाम तर्क) ।
2. नन्दकिशोर उर्फ भगवती नन्दन पुत्र गोपी लाल ।
3. देवकी नन्दन पुत्र गोपीलाल जाति ब्राह्मण निवासीगण भला साहब का मंदिर आचार्य गली जगदीश डिस्को वाले का मकान बून्दी ।
4. गोपाली बाई पत्नी स्व0 भवानीनन्दन ।
5. बन्टी आत्मज भवानीनन्द जाति ब्राह्मण निवासीगण ग्राम बडौद तहसील दीगोद जिला कोटा हाल भला साहब का मंदिर आचार्य जी की गली जगदीश डिस्को वालों का मकान, बून्दी ।
6. सुखनन्दनी उम्र 15 वर्ष नाबालिग जरिये वली माता संजूरानी ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. बद्रीनारायण पुत्र कृष्णगोपाल (मृतक) जरिये कायममुकामान :-
   1/1. जयनन्दन
   1/2. सुखनन्दनी उम्र 15 वर्ष नाबालिग जरिये वली माता संजूरानी ।
   1/3. संजूरानी विधवा पत्नी स्व0 महावीर जाति यादव निवासीगण 404 सुभाष नगर- II कोटा ।
   1/4. रामावतार पुत्र स्वर्गीय बद्रीनारायण ।
   1/5. ममता यादव पुत्र स्व0 बद्रीनारायण
   1/6. सज्जन बाई पत्नी स्व0 बद्रीनारायण जाति अहीर निवासीगण ग्राम बडौद तहसील दीगोद जिला कोटा ।
2. प्रभूलाल आत्मज धूलीलाल (मृतक) जरिये कायममुकामान :-
   2/1. रामस्वरूप आत्मज प्रभूलाल (मृतक) जरिये कायममुकामान :-
   2/1/1. कपिल पुत्र स्व0 रामकल्याण ।
   2/1/2. दीपक पुत्र स्व0 रामकल्याण ।
   2/1/3. चेतन पुत्र स्व0 रामकल्याण ।
   2/1/4. नीलू पुत्री स्व0 रामकल्याण समस्त जाति ब्राह्मण निवासीगण सी-364 (आर0) बडौद वाले तलवण्डी, कोटा ।
   2/1/5. वंशाली पुत्री स्व0 रामकल्याण ।
   2/1/6. वसुधा पत्नी स्व0 रामकल्याण जाति ब्राह्मण निवासीगण सी- 464 (आर0) बडौद वाले तलवण्डी कोटा ।
   2/3. कमला पुत्री प्रभूलाल पत्नी सत्यनारायण ।
   2/4. प्रियंका पुत्री प्रभूलाल पत्नी भालचन्द ।
   2/5. कौशल्या पुत्री प्रभूलाल पत्नी कैलाशचन्द जाति ब्राह्मण निवासी बडौद तहसील दीगोद जिला कोटा ।
3. बृजमोहन पुत्र धूलीलाल जाति ब्राह्मण निवासीगण बडौद तहसील दीगोद जिला कोटा ।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, दीगोद जिला कोटा ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री बलराम शर्मा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से अपील संख्या 2012/00025 एवं अपील संख्या 2012/00029 में रेस्पोडेन्ट क्रम 01 की ओर से ।

2. श्री अरूण शर्मा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से अपीलान्ट की ओर से संख्या 2012/00029 में एवं अपील संख्या 2012/00025 में रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 17.09.2021

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त दोनों अपीलें अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर, दीगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.12.2011 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. उक्त दोनों अपीलें समान प्रकृति की होने तथा एक ही वादग्रस्त आराजी से सम्बन्धित होने से उक्त दोनों अपीलों का निर्णय इस एकल निर्णय से किया जा रहा है । निर्णय की प्रति अलग–अलग पत्रावली में संलग्न की जावे ।

3. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी (मृतक) बद्रीनारायण ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम बडौद तहसील दीगोद जिला कोटा में हाल खसरा नम्बर 595 रकबा 3.35 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि में प्रतिवादीगण क्रम 1व 2 का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी क्रम 03 का 1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादी क्रम 04 लगायत 9 का 1/3 हिस्सा दर्ज है । वादी उक्त भूमि पर पिछले 35 वर्षो से निरन्तर बहैसियत मालिक खातेदार काश्त करता चला आ रहा है तथा लगान एवं सिंचाई शुल्क अदा करता चला आ रहा है । प्रतिवादीगण की कब्जा प्राप्त करने की अवधि धारा 63 (4) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत समाप्त हो चुकी है । गोपीलाल के वारिसान द्वारा भूमि के विवाद को समाप्त करने के उद्देश्य से अपने 1/3 हिस्से की भूमि का मुआवजा 109000/– रूपये दिनांक 05.07.1991 व दिनांक 15.05.1992 को इकरारनामा आलेखित कर प्राप्त कर लिया । वादग्रस्त आराजी पर वादी का कब्जा काश्त चला आ रहा है । वादी को अधिकार प्राप्त है कि वह वादग्रस्त आराजी का स्वयं को खातेदार घोषित करावे तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करावे ।

4. अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी का वादी को खातेदार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादी के कब्जे काश्त की आराजी में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करें उक्त भूमि से वादी को बेदखल नहीं करें । उक्त कृत्य न तो स्वयं प्रतिवादीगण करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

5. प्रतिवादी कम 4 लगायत 9 ने जवाबदावा प्रस्तुत कर वादी के वादपत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए वादी का वादपत्र खारिज करने का कथन किया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 19.12.2011 के द्वारा वाद वादी अंशतः स्वीकार करते हुए प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने की डिकी पारित की।

7. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 19.12.2011 से व्यथित होकर अपीलान्टगण ने न्यायालय हाजा में उक्त दोनों अपीले प्रस्तुत कर दोनों अपील अपीलान्ट स्वीकार करने का कथन किया ।

8. दोनों अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गईं । परीक्षण न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

9. अपील संख्या 2012/00025 में अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि परीक्षण न्यायालय ने अपीलान्ट के द्वारा पेश किये दावे को अंशतः करने कर स्थायी निषेधाज्ञा की डिकी पारित की है परन्तु हक घोषणा की डिकी नहीं देने में त्रुटि की है । वादग्रस्त आराजी पर अपीलान्ट पिछले 35 वर्षों से अधिक समय से काबिज हैं । अपीलान्ट लगान एवं सिंचाई शुल्क अदा कर रहे हैं । प्रतिकूल कब्जे के आधार पर अपीलान्ट खातेदार कृषक हो चुके हैं । रेस्पोडेन्ट का कब्जा प्राप्त करने की मियाद समाप्त हो चुकी है । धारा 63 (4) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत उनके खातेदारी अधिकार समाप्त हो चुके हैं । रेस्पोडेन्ट के द्वारा कभी भी अपीलान्ट को बेदखल नहीं किया गया है । परीक्षण न्यायालय ने अपीलान्ट के पजेशन को परमिजिव पजेशन मानने में त्रुटि की है । दस्तावेजात एवं साक्ष्य की सही विवेचना नहीं की है । रेस्पोडेन्ट ने अपीलान्ट को 02 इकरारनामों से आराजी विकय की है । ये इकरारनामे दिनांक 05.07.1991 और दिनांक 15.07.1992 के हैं । अपीलान्ट ने 02 बार प्रतिफल की राशि अदा की है । रेस्पोडेन्ट ने जानबूझकर अपीलान्ट के पक्ष में विकय पत्र निष्पादित नहीं करवाया है । अपीलान्ट स्टाम्प ड्यूटी जमा कराने का तैयार है और वादग्रस्त आराजी पर विधिक रूप से काबिज है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर रेस्पोडेन्ट की कॉस अपील खारिज फरमाई जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में 2014 (2) डीएनजे पेज 632, आरआरटी 2014 (1) पेज 606, डीएनजे 2016 (3) पेज 1134 उद्दरत की ।

10. रेस्पोडेन्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलान्ट इकरारनामे के आधार पर वादग्रस्त आराजी में खातेदारी अधिकार की घोषणा की सहायता चाहते हैं जो राजस्व न्यायालय द्वारा प्रदान नहीं की जा सकती । इकरारनामा न तो पंजीकृत है और न ही पूर्ण मुद्रांकित है । प्रतिकूल कब्जे के आधार पर भी खातेदारी अधिकार कृषि भूमि पर प्रदान नहीं किये जा सकते । परीक्षण न्यायालय ने अंशतः दावा डिकी करने में त्रुटि की है क्योंकि जब वादी को खातेदार घोषित नहीं किया जा सकता तो उनके पक्ष में स्थायी निषेधाज्ञा भी जारी नहीं की जा सकती । इन तथ्यों के आधार पर अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने जो नजीर उद्दरत की हैं वो राजस्व न्यायालय पर लागू नहीं होती हैं वरन् स्पेसिफिक परफोरमेन्स के दावे में सिविल न्यायालय में लागू होती हैं । अपीलान्ट के पक्ष में यदि कोई इकरारनामा है तो उन्हें स्पेसिफिक परफोरमेन्स का दावा सिविल न्यायालय में करना चाहिए । धन्ना लाल की

मृत्यु दावा पेश करने के पहले ही हो गयी है उनके कायममुकमान नहीं बने हैं । अपीलान्ट ने इरारनामे से 1/3 हिस्सा का क्रय करने का कथन किया है और सम्पूर्ण आराजी पर उनके पक्ष में स्थायी निषेधाज्ञा जारी की है । इकरारनामा कूटरचित है, धोखे से लिखवाया गया है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर रेस्पोडेन्ट द्वारा पेश की गई अपील संख्या 2012/00029 स्वीकार की जावे । अपने पक्ष में समर्थन में आरआरटी 2019 (1) पेज 332, आरआरटी 2018 (2) पेज 1181, आरआरटी 2018 (1) पेज 187 उद्वरत की ।

11. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । परीक्षण न्यायालय में एक दावा बद्रीनारायण के द्वारा प्रतिवादीगण के खिलाफ यह कथन करते हुए पेश किया है कि वादग्रस्त आराजी हाल खसरा नम्बर 595 रकबा 3.35 हैक्टर इसके साबिक खसरा नम्बर 1623 रकबा 21 बीघा 11 बिस्वा था । इसमें प्रतिवादी क्रम 1व और 2 का 1/3 हिस्सा था । प्रतिवादी क्रम 03 का 1/3 हिस्सा और प्रतिवादी क्रम 4 लगायत 9 का 1/3 हिस्सा है । वादी वादग्रस्त आराजी र उक्त 35 वर्षों से काबिज हैं। प्रतिवादीगण की कब्जा प्राप्त करने की अवधि समाप्त हो चुकी है । गोपीलाल के वारिसों के द्वारा 1/3 हिस्से की भूमि का मुआवजा 109000/– रूपये दिनांक 05.07.1991 और दिनांक 15.05.1992 को प्राप्त कर इकरारनामा आलेखित किया है और यह स्वीकार किया है कि कब्जा वादी का वर्षों से चला आ रहा है । दावे का जवाबदावा प्रतिवादीगण की ओर से पेश किया गया और इसमें इकरारनामे को कूटरचित एवं फर्जी बताया गया । परीक्षण न्यायालय ने दावे एवं जवाबदाव के आधार पर 08 तनकियात कायम की हैं ।

12. परीक्षण न्यायालय् की पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात में इकरारनामा दिनांक 05.07.1991 की प्रति प्रदर्श–1, इकरारनामे की प्रति प्रदर्श– पी–2, सिंचाई विभाग की रसीद प्रदर्श– 5 लगायत 17, नकल जमाबन्दी संवत् 2055–58 प्रदर्श– 18, नकल खसरा गिरदावरी प्रदर्श– 19 संलग्न है ।

13. परीक्षण न्यायालय में प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात में नकल जमाबन्दी संवत् 2055–58 प्रदर्श– डी–1 संलग्न किये हैं ।

14. वादी की ओर से बयान बद्रीनारायण पीडब्ल्यू– 1, सुधीर यादव पीडब्ल्यू–2 का शपथ पत्र पीडब्ल्यू– 2 के रूप में संलग्न हैं परन्तु उन्होंने न्यायालय में उपस्थित होकर अपने शपथ पत्र की ताईद नहीं की है । पीडब्ल्यू– 3 के रूप में जमालुद्दीन के बयान कराये गये हैं ।

15. प्रतिवादी की ओर से बयान नन्दकिशोर डीडब्ल्यू–1 कराये गये हैं ।

16. अधीनस्थ न्यायलय ने दावे एवं जवाबदावे के आधार पर 08 तनकी कायम की थी । न्यायालय हाजा द्वारा तनकीवार निर्णय निम्नानुसार पारित किया जा रहा है :–

1. तनकी नं0 **01 :— आया वादग्रस्त आराजी पर वादी का गत 35 वर्ष से निरन्त कब्जा काश्त रहा है, अतः वादी एडवर्स पजेशन के आधार पर उक्त आराजी का खातेदार हो गया है** :— इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर है । वादी के द्वारा वादग्रस्त आराजी पर प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार घोषणा की प्रार्थना की है परन्तु माननीय राजस्व मण्डल की फुल बैंच और माननीय उच्च न्यायालय पीठ जयपुर के द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया जा चुका है कि कृषि भूमि पर प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते । विद्वान् अभिभाषक रेस्पोडेन्ट के द्वारा उद्वरत नजीर आरआरटी 2018 (1) पेज 1181, आरआरटी 2018 (1) पेज 175 यहाँ चस्पा होती है । परीक्षण न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से यह तनकी वादी के खिलाफ तय की है ।

2. तनकी नं0 **02 :— आया वादी इकरारनामा दिनांक 05.07.1991 तथा 15.07.1992 के आधार पर वादग्रस्त आराजी का खातेदार घोषित करवाने का अधिकारी है** :— इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर है । वादी के द्वारा 02 इकरारनामों की प्रतियाँ पेश की गई हैं और इनके आधार पर वो हक घोषणा की सहायता चाहते हैं । दोनों ही इकरारनामे अपंजीकृत हैं और पूर्ण रूप से मुद्रांकित नहीं हैं । इन इकरारानामों के आधार पर राजस्व न्यायालय के द्वारा हक घोषणा वादी के पक्ष में नहीं की जा सकती । वादी स्पेसिफिक परफोरमेन्स का दावा सिविल न्यायालय में पेश करने के लिए स्वतंत्र हैं । विद्वान् अभिभाषक रेस्पोडेन्ट के द्वारा उद्वरत नजीर आरआरटी 2019 (1) पेज 332 यहाँ चस्पा होती है । विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट के द्वारा इस क्रम में उद्वरत नजीर 2014 (2) डीएनजे पेज 632, आरआरटी 2014 (1) पेज 606, डीएनजे 2016 (3) पेज 1134 यहाँ चस्पा नहीं होती हैं वरन् स्पेसिफिक परफोरमेन्स के दावे में जो कि सिविल न्यायालय पेश किया जा सकता है उन पर ही चस्पा हो सकती है । तद्नुसार यह तनकी वादी के खिलाफ तय पायी जाती है । परीक्षण न्यायालय ने इस तनकी को विधिक रूप से वादी के खिलाफ तय किया है ।

3. तनकी नं0 **03 :— आया वादी स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है** :— इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर है । वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी के खाते में दर्ज है । वादी ने इसके बाबत् हक घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा की सहायता मांगी है । स्थायी निषेधाज्ञा की सहायता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत खातेदार कृषक को ही प्रदान की जा सकती है । चूँकि तनकी नम्बर 1व 2 की विवेचना में यह सिद्ध हो चुका है कि वादी वादग्रस्त आराजी का खातेदार घोषित होने का अधिकारी नहीं है तो उसके पक्ष में स्थायी निषेधाज्ञा भी जारी नहीं की जा सकती । परीक्षण न्यायालय ने इस तनकी को वादी के पक्ष में तय करने में त्रुटि की है । उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह तनकी वादी के खिलाफ तय पायी जाती है ।

4. तनकी नं0 **04 :— क्या वादी द्वारा पूर्व में इसी न्यायालय में वाद संख्या 188/89 पेश किया था जो उसके द्वारा विड्रो कर लिया गया । अतः यह वाद खारिज योग्य है** :— इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी पर है । प्रतिवादी के द्वारा पूर्व में पेश किये गये दावे की प्रति पेश नहीं की है और न ही जवाबदावे की प्रति पेश की है जिससे यह प्रमाणित नहीं होता है कि नया दावा रेसजूडीकेटा से बाधित है । वैसे भी आदेशिका के

अनुसार वादी ने नया दावा प्रस्तुत करने की अनुमति के साथ विड्रो किया है जिससे यह दावा रेसजूडीकेटा से बाधित नहीं है और खारिज होने योग्य नहीं है । इस प्रकार यह तनकी प्रतिवादी के खिलाफ तय पायी जाती है । परीक्षण न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से यइ तनकी को प्रतिवादी के खिलाफ तय किया है ।

5. तनकी नं0 05 :– **आया वादी द्वारा कूटरचित एवं अनरजिस्टर्ड इकरारनामे के आधार पर वाद प्रस्तुत किया गया है जो खारिज योग्य है** :– इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी पर है । अपंजीकृत इकरारनामे के आधार पर राजस्व न्यायालय के द्वारा हक घोषणा की सहायता प्रदान नहीं की जा सकती । यह इकरारनामा कूटरचित है इसके सम्बन्ध में कोई साक्ष्य प्रतिवादी ने पेश नहीं की है । तनकी नम्बर 02 के विवेचन में यह तय किया जा चुका है कि अपंजीकृत इकरारनामे के आधार पर हक घोषणा की सहायता प्रदान नहीं की जा सकती । तद्नुसार यह तनकी अंशतः प्रतिवादी के पक्ष में तय पायी जाती है ।

6. तनकी नं0 06 :– **आया वादी का विवादित आराजी पर कभी कब्जा काश्त नहीं रहा। अतः वादी का वाद खारिज योग्य है** :– इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी पर है । वादग्रस्त आराजी पर यदि वादी का कब्जा है तो भी इकरारनामे के आधार पर 1/3 हिस्सा पर । अपंजीकृत इकरारनामे के आधार पर है जो कब्जा है वो परमिजिव पजेशन की श्रेणी में आता है । वादी के द्वारा 02 स्वतंत्र गवाह पेश किये गये हैं जिनमें से एक गवाह ने न्यायालय में उपस्थित होकर अपने शपथ पत्र की ताईद नहीं की है । गवाह जमालुद्दीन पीडब्ल्यू–3 ने वादग्रस्त आराजी पर वादी का कब्जा बताया है । प्रतिवादी की ओर से पेश किये गये गवाह नन्दकिशोर ने इस तथ्य को गलत बताया है और कथन किया है कि जमीन पर उनका कब्जा है । इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से सम्पूर्ण आराजी पर वादी का कब्जा संदेह से परे सिद्ध नहीं होता है और यदि वादग्रस्त आराजी पर कब्जा वादी का माना भी जावे तो भी वे परमिजिव पजेशन की श्रेणी में आएगा और परमिजिव पजेशन के आधार पर दावा वादी डिक्री नहीं किया जा सकता । तद्नुसार यह तनकी अंशतः प्रतिवादी के पक्ष में तय पायी जाती है । अधीनस्थ न्यायालय ने इस तनकी को प्रतिवादी के खिलाफ तय करने में त्रुटि की है ।

7. तनकी नं0 07 :– **आया प्रतिवादी कम 04 महिला एवं प्रतिवादी संख्या 8 व 9 नाबालिग होने से उनकी भूमि पर वादी को खातेदारी अधिकारों की घोषणा का दावा प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है । अतः दावा खारिज योग्य है** :– इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी पर है । प्रकरण में वादी के द्वारा अपंजीकृत इकरारनामे के आधार पर हक घोषणा की सहायता मांगी है जो राजस्व न्यायालय के द्वारा प्रदान नहीं की जा सकती । मूल प्रश्न अपंजीकृत विक्रय के आधार पर राजस्व न्यायालय के द्वारा हक घोषणा का है । तद्नुसार परीक्षण न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से इस तनकी को अंशतः प्रतिवादी के पक्ष में किया किया है ।

8. तनकी नं0 08 :– **अनुतोष** :– तनकी नम्बर 1, 2 व 3 वादी के खिलाफ तय पायी गई है। तनकी नम्बर 04 प्रतिवादी के खिलाफ एवं तनकी नम्बर 5, 6 व 7 अंशतः प्रतिवादी के पक्ष

में तय पायी गई हैं । तद्नुसार दावा वादी खारिज होने योग्य है । परीक्षण न्यायालय ने अंशतः दावा डिक्री करने में विधिक त्रुटि की है ।

17. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट संख्या 2012/00025 खारिज की जाती है । अपील संख्या 2012/00029 स्वीकार की जाती है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.12.2011 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :–

दावा वादी खारिज किया जाता है ।

18. निर्णय आज दिनांक 17.09.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

17.9.2021

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 2012/00025

1. जयनन्दन उम्र 10 वर्ष ।
2. सुखनन्दनी उम्र 15 वर्ष नाबालिग जरिये वली माता संजूरानी ।
3. संजूरानी विधवा पत्नी स्व0 महावीर जाति यादव निवासीगण 404 सुभाष नगर– II कोटा ।
4. रामावतार पुत्र स्वर्गीय बद्रीनारायण ।
5. ममता यादव पुत्र स्व0 बद्रीनारायण
6. सज्जन बाई पत्नी स्व0 बद्रीनारायण जाति अहीर निवासीगण ग्राम बडौद तहसील दीगोद जिला कोटा ।

——अपीलार्थी

बनाम

1. रामसुंखी पत्नी प्रभूलाल
2. रामस्वरूप पुत्र स्व0 प्रभूलाल ।
3. दीपक पुत्र स्व0 रामकल्याण ।
4. चेतन पुत्र स्व0 रामकल्याण ।
5. वंशाली पुत्री स्व0 रामकल्याण ।
6. सुधा पत्नी स्व0 रामकल्याण ।
7. कपिल पुत्र स्व0 रामकल्याण ।
8. नीलू पुत्री स्व0 रामकल्याण समस्त जाति ब्राह्मण निवासीगण सी– 364 (आर0) बडौद वाले तलवण्डी, कोटा ।
9. कमला पुत्री प्रभूलाल पत्नी सत्यनारायण ।
10. विमला पुत्र प्रभूलाल पत्नी बालचन्द ।
11. कौशल्या पुत्री प्रभूलाल पत्नी कैलाश चन्द ।
12. बृजमोहन पुत्र धूलीलाल जाति ब्राह्मण निवासीगण बडौद तहसील दीगोद जिला कोटा ।
13. नन्दकिशोर उर्फ भगवती नन्दन पुत्र गोपी लाल ।

14. देवकी नन्दन पुत्र गोपीलाल जाति ब्राह्मण निवासीगण भला साहब का मंदिर आचार्य गली जगदीश डिस्को वाले का मकान बून्दी ।
15. गोपाली बाई पत्नी स्व0 भवानीनन्दन ।
16. महावीर ।
17. बन्टी जाति ब्राह्मण निवासीगण भला साहब का मंदिर आयार्च जी की गली जगदीश डिस्को वाले का मकान जिला बून्दी ।
18. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, दीगोद ।

--प्रत्यर्थी

अपील संख्या : 2012/00029

1. नट्टी बाई पत्नी स्व0 गोपीलाल (नाम तर्क) ।
2. नन्दकिशोर उर्फ भगवती नन्दन पुत्र गोपी लाल ।
3. देवकी नन्दन पुत्र गोपीलाल जाति ब्राह्मण निवासीगण भला साहब का मंदिर आचार्य गली जगदीश डिस्को वाले का मकान बून्दी ।
4. गोपाली बाई पत्नी स्व0 भवानीनन्दन ।
5. बन्टी आत्मज भवानीनन्द जाति ब्राह्मण निवासीगण ग्राम बडौद तहसील दीगोद जिला कोटा हाल भला साहब का मंदिर आचार्य जी की गली जगदीश डिस्को वालों का मकान, बून्दी ।
6. सुखनन्दनी उम्र 15 वर्ष नाबालिग जरिये वली माता संजूरानी ।

---अपीलार्थी

बनाम

1. बद्रीनारायण पुत्र कृष्णगोपाल (मृतक) जरिये कायममुकामान :-
   1/1. जयनन्दन
   1/2. सुखनन्दनी उम्र 15 वर्ष नाबालिग जरिये वली माता संजूरानी ।
   1/3. संजूरानी विधवा पत्नी स्व0 महावीर जाति यादव निवासीगण 404 सुभाष नगर- II कोटा ।
   1/4. रामावतार पुत्र स्वर्गीय बद्रीनारायण ।
   1/5. ममता यादव पुत्र स्व0 बद्रीनारायण
   1/6. सज्जन बाई पत्नी स्व0 बद्रीनारायण जाति अहीर निवासीगण ग्राम बडौद तहसील दीगोद जिला कोटा ।
2. प्रभूलाल आत्मज धूलीलाल (मृतक) जरिये कायममुकामान :-
   2/1. रामस्वरूप आत्मज प्रभूलाल (मृतक) जरिये कायममुकामान :-
   2/1/1. कपिल पुत्र स्व0 रामकल्याण ।
   2/1/2. दीपक पुत्र स्व0 रामकल्याण ।
   2/1/3. चेतन पुत्र स्व0 रामकल्याण ।

2/1/4. नीलू पुत्री स्व0 रामकल्याण समस्त जाति ब्राह्मण निवासीगण सी– 364 (आर0) बडौद वाले तलवण्डी, कोटा ।
2/1/5. वंशाली पुत्री स्व0 रामकल्याण ।
2/1/6. वसुधा पत्नी स्व0 रामकल्याण जाति ब्राह्मण निवासीगण सी– 464 (आर0) बडौद वाले तलवण्डी कोटा ।
2/3. कमला पुत्री प्रभूलाल पत्नी सत्यनारायण ।
2/4. प्रियंका पुत्री प्रभूलाल पत्नी भालचन्द ।
2/5. कौशल्या पुत्री प्रभूलाल पत्नी कैलाशचन्द जाति ब्राह्मण निवासी बडौद तहसील दीगोद जिला कोटा ।

3. बृजमोहन पुत्र धूलीलाल जाति ब्राह्मण निवासीगण बडौद तहसील दीगोद जिला कोटा ।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, दीगोद जिला कोटा ।

––प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.12.2011 अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, दीगोद जिला कोटा ।

वाद संख्याः 273/दावा/2009

बद्रीनारायण पुत्र कृष्णगोपाल जाति अहीर निवासी ग्राम बडौद तहसील दीगोद जिला कोटा ।

––वादी

बनाम

1. प्रभूलाल आत्मज धूलीलाल (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   1/1. रामसुखी पत्नी प्रभूलाल ।
   1/2. रामस्वरूप आत्मज प्रभूलाल ।
   1/3. रामकल्याण पुत्र प्रभूलाल ।
   1/4. कमला पुत्री प्रभूलाल पत्नी सत्यनारायण ।
   1/5. विमला पुत्री प्रभूलाल पत्नी बालचन्द ।
   1/6. कौशल्या पुत्री प्रभूलाल पत्नी कैलाश चन्द ।

2. बृजमोहन पुत्र धूलीलाल जाति ब्राह्मण निवासीगण बडौद तहसील दीगोद जिला कोटा।
3. धन्ना लाल पुत्र रघुनाथ निवासी बडौद तहसील दीगोद जिला कोटा (नाम डिलीट) ।
4. नट्टी बाई पत्नी स्व0 गोपीलाल जाति ब्राह्मण निवासी भला साहब का मंदिर आर्याच जी की गली जगदीश डिस्को वाले का मकान बून्दी जिला बून्दी ।

5. नन्दकिशोर उर्फ भगवती नन्दन पि0 गोपीलाल ।
6. देवकी नन्दन पुत्र गोपीलाल जाति ब्राह्मण निवासीगण भला साहब का मंदिर आचार्य गली जगदीश डिस्को वाले का मकान बून्दी ।
7. गोपाली बाई पत्नी स्व0 भवानीनन्दन ।
8. महावीर
9. बन्दी नाबालिग जरिये वली माता गोपाली बाई जाति ब्राह्मण निवासीगण भला साहब का मंदिर आचार्य जी की गली जगदीश डिस्को वाले का मकान बून्दी जिला बून्दी ।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, दीगोद जिला कोटा ।

––प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय सहायक कलक्टर, दीगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.12.2011 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 17.09.2021 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री बलराम शर्मा अपील संख्या 2012/00025 एवं अपील संख्या 2012/00029 में रेस्पोडेन्ट कम 01 की ओर से एवं अभिभाषक श्री अरूण शर्मा अपील संख्या 2012/00029 में अपीलान्ट की ओर से एवं अपील संख्या 2012/00025 में रेस्पोडेन्ट की ओर से उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट संख्या 2012/00025 खारिज की जाती है । अपील संख्या 2012/00029 स्वीकार की जाती है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.12.2011 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :–

   दावा वादी खारिज किया जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 17.09.2021 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

-- 17.9.2021

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा